



पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र
तारांकित प्रश्न

वर्ष- 1

08 फाल्गुन, 1933 (श०)
सोमवार तिथि
27 फरवरी, 2012 (ई०)
प्रश्नों की कुल संख्या—80

(1) गृह विभाग	..	..	45
(2) कारा विभाग	..	..	05
(3) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	04
(4) उद्योग विभाग	..	..	06
(5) वित्त विभाग	..	..	03
(6) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	05
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	01
(8) निर्वाचन विभाग	..	..	02
(9) सांस्थिक वित्त विभाग	..	..	04
(10) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	01
(11) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	04

कुल योग .. 80

रिक्त पदों पर नियुक्ति

*153. श्री आलोक रंजन—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में वर्ष 1983 से आजतक कक्षपाल के पद पर नियुक्ति नहीं करने के कारण जेल प्रशासन को काफी कठिनाई हो गयी है, यदि हां, तो क्या सरकार कक्षपालों की रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना से जोड़ना

*154. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अन्तर्गत शहजादपुर पंचायत नाथनगर धाना से मात्र 5 कि०मी० की दूरी पर है;
- (2) क्या यह बात सही है कि शहजादपुर पंचायत का धाना बिहपुर प्रखंड में है;
- (3) क्या यह बात सही है कि शहजादपुर में कोई घटना घटती है तो बिहपुर धाना को खरीफ, परवत्ता, भागलपुर एवं नाथनगर धाना पार कर 75 कि०मी० दूरी तय कर जाना पड़ता है;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहजादपुर को नाथनगर धाना से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच पूर्ण करना

*155. श्री विक्रम कुंवर—क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत 10 वर्षों में निगरानी विभाग को जाँच करने हेतु 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि दो तिहाई केस को जाँच की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रिमियम श्रेणी में रखना

*156. श्री मोतीलाल प्रसाद—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि बिहार में गन्ना के दो किस्मों 92423 एवं 95422 को क्रमशः वर्ष 2010 एवं 2011 में प्रिमियम श्रेणी का दर्जा दिया गया है;
- (2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान पैराई सत्र में इन दोनों किस्म के ईख को प्रिमियम श्रेणी से हटाकर उसके नीचे के श्रेणी रोजक्टेड श्रेणी का दर्जा दे दिया गया है, जिससे किसानों को 15 रु० प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन दोनों श्रेणियों के ईख को पूर्व की भाँति प्रिमियम श्रेणी में रखने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सक का पदस्थान

*157. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय विक्रमगंज में वर्ष 1994 में ही उप-कारा की स्थापना हुई है, परन्तु चिकित्सक एवं अन्य कर्मों को पदस्थापित नहीं किये जाने से कैदियों की चिकित्सा में काफी असुविधा होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सितम्बर, 2011 में संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किये जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उप-कारा में चिकित्सक एवं अन्य कर्मों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*158. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में 1975 के बाद एक भी नई पुलिस चौकी नहीं खोली गई है, जबकि आबादी तीगुनी हो गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार, पटना कार्यालय के ज्ञापक 99/एल० 2/गो०, दिनांक 28 फरवरी, 2011 के आलोक में शहरी आबादी बढ़ने के कारण वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा ने अपने ज्ञापक 1110, दिनांक 28 मार्च, 2011 एवं 3781, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के द्वारा विधि-व्यवस्था रखने के लिए शुभंकरपुर समेत पाँच नगर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव निर्धारित मापदंड के अनुसार मुख्यालय को भेजा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा शहरी क्षेत्र में शुभंकरपुर समेत पाँचों नगर पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*159. श्री अवधेश कुमार राय—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के मृत शिक्षकों की भविष्य निधि की अंतिम निकासी जिला स्तर पर गठित भविष्य निधि कोषांग से ही करने के संबंध में राज्य भविष्य निधि निदेशालय एवं शिक्षा विभाग की सहमति वर्ष 2010 के बावजूद वित्त विभाग द्वारा आदेश निर्गत नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग द्वारा स्थापित भविष्य निधि कोषांग में ही शिक्षक सहित सभी सरकारी कर्मियों की भविष्य निधि का लेखा-जोखा जिला भविष्य निधि कोषांग में ही रहता है, जहाँ से सेवानिवृत्त एवं मृत शिक्षकों/कर्मियों को राशि प्राप्त करने में सुविधा होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मृत शिक्षकों को भविष्य निधि की राशि जिला भविष्य निधि कोषांग के द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था कब तक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारा का विस्तार

*160. श्री आनन्दी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के कारागार में कैदियों की संख्या क्षमता 6 (छः) गुणा अधिक कैदी को रखा गया है, जिससे कैदियों को भारी मानवीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो सरकार उक्त कारागार का विस्तार करने का विचार कब तक रखती है और नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*161. श्री राज कुमार राय—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर धाना को अपना भवन नहीं है, धाना भवन पी०एच०ई०डी० के निरीक्षण भवन में चल रहा है;
- (2) क्या यह बात सही है कि धाना के कर्मचारियों एवं कैंदियों के रहने में दिक्कत होती है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हसनपुर धाना को अपना भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारा का निर्माण

*162. श्री वैद्यनाथ सहनी—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी में अनुमंडलीय उप-कारा निर्माण हेतु अनुमंडल की अपनी जमीन उपलब्ध है, यदि हां, तो क्या सरकार पटोरी में उप-अनुमंडलीय कारा का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

मतदाताओं का नाम जोड़ना

*163. डॉ० अच्युतानन्द—दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 26 जनवरी, 2012 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "फोटोयुक्त मतदाता सूची में बिहार पीछे" के आलोक में क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य की आबादी 10.38 करोड़ है जबकि मात्र 5.68 करोड़ व्यक्तियों का नाम ही अभी तक मतदाता सूची में शामिल है;
- (2) क्या यह बात सही है कि निर्वाचन के अधिकार के लिए सभी मतदाताओं का नाम निर्वाचन सूची में रहना आवश्यक है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी मतदाताओं का नाम निर्वाचन सूची में नहीं जोड़ने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए सभी मतदाताओं का नाम निर्वाचन सूची में जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीप उपलब्ध कराना

*164. डॉ० अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि बिहार के लगभग सभी धाना को निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग हेतु जीप उपलब्ध कराया गया है;
- (2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत जलय ओ०पी० को उक्त सुविधा से वंचित रखा गया है, जिस कारण धाना कर्मियों को निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त धाना को जीप उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*165. श्री सतीश कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राधेपुर प्रखंडान्तर्गत जुड़ावनपुर थाना एवं रूस्तमपुर ओ०पी० का अपना भवन नहीं रहने से थाना कार्य का सम्पादन स्थानीय स्कूल एवं सामुदायिक भवन में हो रहा है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना का कार्य विद्यालय भवन/सामुदायिक भवन में चलने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होने के साथ-साथ पुलिसकर्मी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना एवं ओ०पी० के लिए भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन उपलब्ध कराना

*166. श्री अरुण कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 200 से अधिक थाना एवं पुलिस आउट पोस्ट भाड़े के भवन में चल रहे हैं जिसके कारण विधि व्यवस्था पर नियंत्रण पाने में पुलिस को कठिनाई हो रही है;
- (2) क्या यह बात सही है कि पुलिसकर्मियों के शस्त्रों की लूट उग्रवादियों की पहली प्राथमिकता होती है और बिना सुरक्षित भवन के शस्त्रों की सुरक्षा संभव नहीं है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी थानों एवं पुलिस आउट पोस्ट को भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*167. श्री विक्रम कुंवर--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भा०प्र०से० (91) के पदाधिकारी श्री सी०के० अनिल पर, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 464, दिनांक 13 फरवरी, 2011 द्वारा दर्शाए गए भ्रष्टाचार के विभिन्न छः (6) गंभीर आरोपों की पुष्टि की है, यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अबतक इनके विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ? यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*168. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 06 जनवरी, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "पशु तस्करी पर रोक नहीं" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत सीमावर्ती उमगांव, बासोपट्टी, मधुवापुर प्रखण्डों के रास्ते नेपाल से हजारों पशुओं को लाकर बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है;
- (2) क्या यह बात सही है कि पशु तस्करी के कारण दुधारू पशु की भी कमी हो रही है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पशु तस्करी रोकने तथा इसमें संलग्न व्यक्तियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*169. श्री राम नरेश प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखंड अन्तर्गत पिपरा परसाईन पंचायत के मुजौलिया ग्राम में कब्रिस्तान अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान तीन तरफ से चहारदीवारी हो चुका है और एक तरफ बाकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बचे हुए भाग में कब्रिस्तान की घेराबंदी का (निर्माण) कार्य कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*170. श्री प्रभात रंजन--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक थाना को थाना भवन एवं थाना कैम्पस में प्रतिनियुक्त दारोगा, जमादार एवं अन्य कर्मचारियों को आवासीय भवन बनाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत भगवानपुर थाना वर्ष 1976 से कार्यरत है, परन्तु थाना भवन के अभाव में भाड़े के मकान में चल रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना में प्रतिनियुक्त दारोगा, जमादार एवं अन्य कर्मचारियों को थाना कैम्पस में सरकारी आवास नहीं रहने के कारण थाना से दूर भाड़े के मकान में रहते हैं, जिससे कार्य करने में कठिनाई के साथ असुरक्षा बनी रहती है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भगवानपुर थाना का अपना भवन के साथ थाना कैम्पस में आवासीय भवन बनाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कैन्टीन की व्यवस्था

*171. श्रीमती उषा सिन्हा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग के पत्रांक 437, दिनांक 14 मई, 2009 के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के परिशिष्ट 1 की कण्टिका 2(ग) के आलोक में औद्योगिक प्रांगण में कामगारों आहार/अल्पहार हेतु कैन्टीन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि औद्योगिक प्रांगण पाटलीपुत्रा में निम्न श्रेणी के कामगारों के लिए कैन्टीन की व्यवस्था नहीं की गयी है जिसके चलते उद्योग पर प्रतिफल असर पड़ता है तथा कार्य बाधित होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नीति के आलोक में पाटलीपुत्रा औद्योगिक प्रांगण में कामगारों के लिए कैन्टीन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*172. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत थाना करफी के ग्राम रोहाई में 72 डी0 रुकवा का एक कब्रिस्तान है, जिसका खाता नं0 88 एवं प्लॉट नं0 612 है, जिसे वर्ष 2007 में घेराबंदी कराने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था लेकिन उसकी घेराबंदी अभी तक नहीं किया जा सका है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस संबंध में तत्कालीन गृह (विशेष) विभाग के संयुक्त सचिव के पत्रांक 14, 100, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा जिलाधिकारी, अरवल एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से जीव प्रतिवेदन मांगा गया था, जो आज तक प्राप्त नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का भुगतान

*173. श्री सुरेश चंचल--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के विभिन्न अनुमंडलों में निर्वाचन से जुड़े कार्यों के सम्पादन हेतु समय-समय पर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों को बी0एल0ओ0 नियुक्त किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना सदर अनुमंडल कार्यालय द्वारा फुलवारीशरीफ प्रखंडान्तर्गत रा0प्रा0वि0, विशुनपुर पकड़ी (कुरथौल) के सहायक/पंचायत शिक्षकों को 2007-08 से अभी तक बी0एल0ओ0 के अतिरिक्त कार्य के लिए देय मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है जबकि निकटवर्ती दानापुर अनुमंडल कार्यालय द्वारा सभी बी0एल0ओ0 को वर्ष 2010-11 तक के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रा0वि0 के सहायक/पंचायत शिक्षकों बी0एल0ओ0 कार्य के लिए देय मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक का शाखा खोलना

*174. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, संस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मरगाहा, धुरियाही, बुद्धियाटीकर, तिरासी इत्यादि गाँव सुदूर देहात दियारा इलाक़े में स्थित है, जहाँ बैंक की कोई सुविधा नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार मरगाहा में ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

धाना की स्थापना

*175. डॉ० डाउद अली--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमरांव में एक भी महिला धाना नहीं है, जिससे महिला को समुचित सुरक्षा एवं न्याय नहीं मिल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि डुमरांव पुराना धाना स्थित पुलिस चौकी नं० 1 के आस-पास महिला धाना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर एक महिला धाना की स्थापना करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*176. श्री सतीश कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत दियारा क्षेत्र के राधोपुर धाना का भवन काफी पुराना, जर्जर एवं चहारदीवारी विहीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदनशील दियारा क्षेत्र में धाना भवन की जर्जरता एवं उसकी चहारदीवारी नहीं रहने से धाना कर्मी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राधोपुर धाना के लिए नया धाना बनाने एवं उसकी चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना का निर्माण

*177. श्रीमती नीता चौधरी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर अवस्थित थाना 1905 में बना है;
- (2) क्या यह बात सही है कि तारापुर अवस्थित थाना आदर्श मॉडल थाना की सारी शर्तों का पूरा करता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तारापुर थाना को आदर्श मॉडल थाना के रूप में रखने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० की स्थापना

*178. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत महिशी थाना के अन्तर्गत शोरवार, बीरवार, बेलडावर, सीसौना, टीकोलवा, खपौर आदि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, में नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र बन गया है;
- (2) क्या यह बात सही है कि भूगोलीय दृष्टिकोण में महिशी थाना को उक्त उग्र-प्रभावित क्षेत्र को नियंत्रण एवं अपराधियों पर काबू पाने में कठिनाई होती है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टिकोलवा में एक ओ०पी० का स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*179. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज थाना भवन काफी पुराना होने के कारण जर्जर है, जिसके कारण फाईल एवं अन्य कागजात अमुरक्षित है; यदि हां, तो क्या सरकार वारिसलीगंज थाना को मॉडल थाना के रूप में विकसित कर भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*180. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका प्रखण्ड का पचपकड़ी ओ०पी० (थाना) भवनहीन है, जबकि यह क्षेत्र पूर्णतः नक्सल प्रभावित है, जिससे थाना को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घूमने एवं सुरक्षा आदि की समस्या हो रही है, यदि हां, तो क्या सरकार पचपकड़ी ओ०पी० (थाना) के भवन का निर्माण जनहित में कबतक कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों?

* 181. डा० अच्युतानन्द-- दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, सांस्थिक (विध) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले दस वर्षों से प्रतिबंधित 264 ननबैंकिंग कंपनी कार्यरत है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त ननबैंकिंग कंपनियों में राज्य की जनता के करोड़ों रुपया जमा है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी प्रतिबंधित ननबैंकिंग कंपनियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

कार्यालय की व्यवस्था

* 182. श्री विनोद नारायण झा-- क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में खोले गये नये थाने में से एक भी थाने का कार्यालय की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

कश्मिरान की घेराबंदी

* 183. श्री महेंद्र बैठा-- क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हुसैनपुर कश्मिरान की घेराबंदी वर्ष 2010 में करने का निर्णय लिया गया था जो आजतक उक्त कश्मिरान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हां, तो सरकार उक्त कश्मिरान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों?

भवन का निर्माण

* 184. श्री गूड्डी देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला का रुन्नीसैदपुर प्रखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र है;
- (2) क्या यह बात सही है कि रुन्नीसैदपुर प्रखंड के महिन्दवारा में पुलिस कैम्प है जो भवन के अभाव में दो वर्षों से कैम्प लगाकर कार्य कर रहा है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुलिस कैम्प का भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

असरगंज धाना में रखना

*185. श्रीमती नीता चौधरी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरौन, जोरारी, मिल्की जोरारी, बनगामा इत्यादि गांव मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड के अन्तर्गत मकवा ग्राम पंचायत में है, परन्तु उक्त सभी गांव तारापुर धाना के अन्तर्गत आता है, यदि हां, तो क्या सरकार मकवा पंचायत के अन्तर्गत उक्त अंकित सभी गांव सरौन, जोरारी, मिल्की जोरारी, बनगामा इत्यादि को असरगंज धाना के अन्तर्गत रखने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*186. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत आमस धाना झारखंड राज्य के समीप है और संवेदनशील क्षेत्र है;
- (2) क्या यह बात सही है कि आमस धाना का भवन काफी पुराना है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आमस धाना का भवन निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*187. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड के अन्तर्गत घोरदह तथा खुरियाल में पुलिस चौकी नहीं रहने के कारण वहां के निवासियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो सरकार जनहित में उक्त स्थानों पर पुलिस चौकी खोलने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*188. श्री प्रमोद कुमार—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, प० चम्पारण, बेतिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पटना आदि जिलों में बंगाल से आये शरणार्थियों को विभागीय पत्रांक 2880, दिनांक 16 जून, 2009 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया था, जिसके तहत वर्ष 2010 तक जाति प्रमाण-पत्र निर्गत भी किया गया है;
- (2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के वर्तमान जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, मोतिहारी एवं पिपराकोटी को बिहार के मूल निवासी नहीं होने के कारण जाति प्रमाण-पत्र वर्ष 2011 से निर्गत करने पर रोक लगा दी है, जिस कारण शिक्षित एवं बेरोजगार युवा-युवती रोजगार से वंचित हो रहे हैं;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त शरणार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवॉट करना

*189. श्री अखतरुल ईमान—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं को टर्म लॉन देने हेतु 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने अबतक उक्त राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम को उपलब्ध नहीं कराई है जबकि वित्त निगम में टर्म लॉन के लिए 25 हजार से अधिक आवेदन-पत्र विगत पांच माह से जमा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वीकृत उक्त राशि को टर्म लॉन देने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम को आवॉट करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भार वहन करना

*190. श्री अवधेश कुमार राय—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार पेंशनर को 300 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता एवं बीमार पेंशनर के इलाज का संपूर्ण व्यय वहन करती है, यदि हाँ, तो सरकार केन्द्र के समान पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ता एवं उनके इलाज का संपूर्ण व्यय का भार वहन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

मॉडल धाना का दर्जा

*191. श्रीमती गुड्डी देवी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि रून्नीसैदपुर थाना को उग्रवादियों से लड़ने के लिये अत्यधिक बल, आधुनिक सास्त्र एवं तकनीकी उपकरण नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो रून्नीसैदपुर थाना को मॉडल धाना का दर्जा देने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*192. डॉ० फैयाज अहमद—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला की स्थापना 1972 में हुई, लेकिन अभीतक वहाँ के पुलिस लाईन का अपना भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस लाईन का वर्तमान भवन बहुत पुराना होने की वजह से उसके छत एवं दीवार की स्थिति काफी जर्जर हो गयी है तथा छत से पानी रिसता है एवं आर्म्स भी असुरक्षित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुलिस लाईन को अपना भवन बनवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*193. डॉ० फैयाज अहमद— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी, पतौना, औसो एवं रहिता थाना का भवन काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना बनाना

“क” *194. श्री वीरेन्द्र सिंह— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत वजीरगंज विधान-सभा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि वजीरगंज एवं मानपुर थाना को मॉडल थाना नहीं रहने के कारण उग्रवाद पर काबू पाने में कठिनाई होती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वजीरगंज एवं मानपुर को मॉडल थाना बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र खोलना

“ख” *195. श्री वीरेन्द्र सिंह— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि मानपुर प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं रहने के कारण आगजनी की घटनाओं को काबू पाने में कठिनाई होती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मानपुर में अग्निशामक केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्लांट चालू करना

*196. श्री अखतरुल ईमान— क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोतिया प्रखंड अन्तर्गत कालीदास पंचायत में 11 करोड़ रुपये की लागत से सहकारी क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु ग्रामीण स्वर्ण जयंती योजना के तहत सरकारी टी प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण वर्ष 2007 में बनकर तैयार हो चुका है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि निर्माण पूर्ण होने के पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त सरकारी टी प्रोसेसिंग प्लांट का परिचालन आरंभ नहीं किया गया है जबकी उसी पंचायत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के चार प्लांट संचालित हैं ;
- (3) क्या यह बात सही है कि प्लांट का उचित देखभाल नहीं होने के कारण इसकी बहुमूल्य मशीनों में जंग पकड़ रही है इससे सरकारी धन का नुकसान हो रहा है ;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टी प्रोसेसिंग प्लांट को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट—‘क’-गृह (आरक्षी) विभाग को स्थानान्तरित ।

‘ख’-गृह (आरक्षी) विभाग को स्थानान्तरित ।

भवन का निर्माण

*197. श्री महेन्द्र बैठा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखंड के तिसीऔता धाना का अपना धाना भवन नहीं है;
- (2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार तिसीऔता धाना का भवन निर्माण करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धाना स्थापित करना

*198. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

- (1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड का पश्चिमी कोशी तटबंध से पूरब का हिस्सा कोशी एवं भूतही बलान नदी से प्रभावित रहने के कारण आवागमन की असुविधा से वसुआरी, नौआवाखर, सरौती एवं अमही ग्राम पंचायतों में घोघरडीहा धाना से विधि-व्यवस्था के नियंत्रण में कठिनाई होती है ;
- (2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित ग्राम पंचायतों की सुरक्षा हेतु हटनी में धाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*199. श्री दाउद अली--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला में एक अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण की योजना है, परन्तु बक्सर जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हां, तो क्या सरकार बक्सर जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*200. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी सहित अन्य विभागीय पदाधिकारियों को जन-प्रतिनिधि द्वारा किये गये पत्राचार का प्रति उत्तर देना आवश्यक है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, बेगूसराय को क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर पत्रांक 99, 5 अगस्त, 2011 एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, आयुक्त, मुंगेर, मुख्य सचिव, पटना एवं निदेशक, शिक्षा विभाग को पत्रांक 159, 17 दिसम्बर, 2011, 158, 17 दिसम्बर, 2011, 156, 14 नवम्बर, 2011, 127, 11 सितम्बर, 2011 एवं 113, 21 अगस्त, 2011 द्वारा पत्र लिखी गयी ;
- (3) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित पत्रों के आलोक में की गयी कार्रवाई से प्रश्नकर्ता को अवगत नहीं कराया गया है ;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिलाधिकारी, बेगूसराय सहित विभागीय पदाधिकारियों को उक्त पत्रों के आलोक में कार्रवाई करने संबंधित आदेश देने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

* 201. श्री कन्हैया कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के मेसकौर प्रखंड में धाना का उद्घाटन दिनांक 1 अगस्त, 2001 ई० में हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त धाना में आज भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है;

(3) क्या यह बात सही है कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 15 कि०मी० दूर सिरदला धाना जाना पड़ता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मेसकौर धाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्जीवित करना

* 202. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह-- क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के चौदह प्रखंड में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आने वाले कुटीर उद्योग यथा सूत उत्पादन, खादी उत्पादन, बुनाई, सनू, बेसन, मधुमक्खी पालन, साबुन उत्पादन पैंजी के अभाव में वर्ष 2001 से ही बन्द है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारगर कदम उठाना

* 203. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह-- दिनांक 25 जनवरी, 2012 को हिन्दी दैनिक में प्रकाशित शीर्षक "बिहार के कई जिले आतंकी नेटवर्क के सेफजोन" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर खुली सीमा तथा बंगलादेश के रास्ते आतंकीयों के आवाजाही के लिए वरदान साबित हो रहे हैं एवं देश में कई स्थानों पर आतंकी घटनायें घटी हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि सीमा पार के आतंकवाद के कारण उत्तर बिहार के कई जिले आतंकीयों के शरणस्थली बने हुए हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आतंकी गतिविधियों को रोकने हेतु कौन-सा कारगर कदम उठाने का विचार रखती है?

उद्योग की स्थापना

* 204. श्री गिरधारी यादव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कृत संकल्प है;

(2) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला में रेशम (तसर) के कीट के रूप में तसर उद्योग के लिए पर्याप्त रॉ-मेटेरियल उपलब्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाँका जिला में तसर उद्योग की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा स्थापित करना

* 205. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित जगदेव पथ मोड़ पर स्व० जगदेव प्रसाद जी की एक लघु प्रतिमा स्थापित है.

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जगदेव पथ मोड़ पर स्व० जगदेव प्रसाद जी स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी एक आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

* 206. श्री मनोहर प्रसाद सिंह-- क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी, अमदाबाद और मनसाही प्रखंड अन्तर्गत कोई उद्योग नहीं है;
- (2) क्या यह बात सही है कि इन प्रखंडों में मकई की फसल बहुतायत में होती है;
- (3) क्या यह बात सही है कि मकई प्रोसेसिंग उद्योग लगाये जाने पर कच्चा माल समुचित मात्रा में सुलभ हो सकता है;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मनिहारी में मकई प्रोसेसिंग उद्योग लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों?

प्रतिमा स्थापित करना

* 207. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा-- क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि स्व० उपेन्द्र नाथ वर्मा जो समाजवादी नेता, केन्द्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, बिहार एवं राज्य किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे जिनकी असाधारण निधन दिनांक 28 अगस्त, 2011 को हो गई है;
- (2) क्या यह बात सही है कि स्व० वर्मा राज्य के समाजवादी नेताओं में संभवतः अंतिम व्यक्ति थे जो आजीवन समाजवादी आंदोलन समाज से पिछड़ों एवं दलितों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षरत रहे;
- (3) क्या यह बात सही है कि स्व० वर्मा का निधन अध्यक्ष राज्य किसान आयोग के संवैधानिक पद पर रहते हुए हुआ है;
- (4) क्या यह बात सही है कि स्व० वर्मा विचारधाराओं को संस्मरणीय बनाने हेतु उनकी आदमकद प्रतिमा पटना शहर के किसी बड़े चौराहे पर स्थापित करने की आवश्यकता है;
- (5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व० उपेन्द्र नाथ वर्मा का आदमकद प्रतिमा पटना शहर के किसी बड़े चौराहे पर स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

भवन का निर्माण

* 208. श्री पवन कुमार जायसवाल-- क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकरहना अनुमंडल का दर्जा बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1972 दिया गया। 30 वर्ष तक सिकरहना अनुमंडल कार्यालय का कार्य मोतिहारी जिला मुख्यालय में संचालित हुआ। वर्ष 2002 से सिकरहना अनुमंडल कार्यालय का संचालन ढाका में हो रहा है;
- (2) क्या यह बात सही है कि नक्सल प्रभावित सिकरहना अनुमंडल के पास कार्यालय/आवासीय भवन नहीं होने के कारण अनुमंडल कार्यालयों का कार्य सामुदायिक भवन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, एस०पी०सी० गोदाम, अन्य कार्य नगर भवन के जर्जर मकान में संचालित होता है। जिस कारण पदाधिकारियों के साथ आम जन को भी व्यापक कठिनाई होती है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुराने सिकरहना अनुमंडल के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*209. श्री गिरिधारी यादव--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सोनो प्रखण्ड के ग्राम विशुनपुर के सर्वश्री अर्जुन पासवान एवं विशुनदेव यादव की हत्या दिनांक 12 अप्रैल, 2010 को नक्सलियों द्वारा कर दी गयी, परन्तु दोनों के परिजनों को मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों परिवारों को मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*210. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत 16 कब्रिस्तान हैं, जिसमें मात्र 4 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी वर्ष 2010 में प्रारम्भ की गयी, परन्तु अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, यदि हां, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूर्ण करते हुए शेष कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने का विचार कब तक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*211. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमण्डल में अग्निशामक केन्द्र की स्थापना की गयी है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त अग्निशामक केन्द्र में दो वाहन की व्यवस्था की गयी है, जिसमें एक वाहन की स्थिति काफी जर्जर है एवं केन्द्र का अपना भवन नहीं है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अग्निशामक केन्द्र के लिए नये वाहन उपलब्ध कराने के साथ भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*212. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 323 के जगह मात्र 22 आवेदनों को ही समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है;
- (2) क्या यह बात सही है कि जिले के 66 समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा में से मात्र 8 शाखा ने ही परियोजना का वित्त पोषण किया है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लक्ष्य के विरुद्ध इतना कम उपलब्ध हेतु दोषी शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

वाहनों की संख्या बढ़ाना

*213. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला मुख्यालय में मात्र एक ही अग्निशामक वाहन रखा गया है;
- (2) क्या यह बात सही है कि बड़हिया प्रखण्ड के टाल दियारा क्षेत्र में फुस की झोंपड़ियाँ बहुत ज्यादा हैं जहाँ प्रत्येक वर्ष अगलगगी होता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लखीसराय जिला मुख्यालय में दो और अग्निशामक वाहन बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देना

*214. श्री राम सुरत राय—क्या मंत्री, गृह(आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई एवं कटरा प्रखण्डों में एम०सी०सी० संगठन से अलग होने पर प्रति व्यक्तियों को इन्दिरा आवास, 3000 हजार रुपये प्रति महीना नगद, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा, दो लाख रुपये का ऋण एवं दो एकड़ जमीन देने की घोषणा वर्ष 2005 में सरकार द्वारा की गयी है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त घोषणा के बाद श्री प्रसाद दास, श्री राम वृज राय, श्री राजकुमार राय एवं अन्य 8 व्यक्तियों ने एम०सी०सी० संगठन से अलग होकर आत्म समर्पण करने के बाद इन्दिरा आवास छोड़कर अन्य उक्त शेष लाभों से वंचित हैं;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त एम०सी०सी० संगठन से आत्म समर्पण करने वाले व्यक्तियों को शेष लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विज्ञापनों पर रोक

*215. श्रीमती उषा सिन्हा—दिनांक 9 फरवरी, 2012 को प्रकाशित हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" के शीर्षक "मित्र बनाओ" की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि प्रतिदिन दैनिक समाचार-पत्रों में सूर्या फ्रेंडशिप, किरण फ्रेंडशिप, हॉट मस्ती फ्रेंडशिप, सानिया स्वीट फ्रेंडशिप, डे-नाइट फ्रेंडशिप जैसे अनेकों कलाओं के माध्यम से हाई प्रोफाईल लड़के-लड़कियों, कॉलेज गर्ल, हाऊस वाइफ को कॉल कर अकेलापन दूर करें, पुरुष दोस्त बनायें जैसे विज्ञापन छपते हैं, जिससे युवा पीढ़ी गुमराह तथा ब्लैकमेलिंग एवं नैतिक पतन का शिकार हो रही है;
- (2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस प्रकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर नियुक्ति

*216. डॉ० इजहार अहमद—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1983 से 1995 तक बिहार के 534 प्रखण्डों, 102 अनुमण्डलों और 38 जिलों में उर्दू अनुवादकों के 674 पदों में से 262 पद पर, सहायक उर्दू अनुवादकों के 674 पदों में से 367 पद पर, उर्दू/हिन्दी टंककों के 674 पदों में से 608 पद पर और चपरासी के 38 पदों में से 13 पद पर बहाली की गयी थी;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त बहाली के बाद उर्दू अनुवादकों के 412 पद, सहायक अनुवादकों के 307 पद, उर्दू/हिन्दी टंककों के 66 पद और चपरासियों के 25 पद रिक्त रह गये हैं;
- (3) क्या यह बात सही है कि उक्त रिक्त पदों पर गत 17 वर्षों से बहाली नहीं की गई है जिससे सरकार का उर्दू कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है;
- (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रिक्तियों पर बहाली करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धाना बनाना

*217. श्री मोती लाल प्रसाद--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सूफी प्रखंड में कोई धाना नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि इस प्रखंड का कुछ हिस्सा बैरगनियाँ धाना और कुछ हिस्सा मेजरगंज धाना के अन्तर्गत है, जिससे कानून व्यवस्था के नियंत्रण में कठिनाई होती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूफी प्रखंड धाना बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*218. श्री शिवेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगिऔंव प्रखंड में आरक्षी निरीक्षक का कार्यालय 15 वर्षों से स्थापित है, लेकिन अभी तक भवन निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के भवन निर्माण कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*219. श्रीमती रंजु गीता--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड में अवस्थित धाना का भवन छोटा है जिससे विधि-व्यवस्था का नियंत्रण होता है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त धाना का अपना भवन नहीं होने से विधि-व्यवस्था एवं कार्यालयीय कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धाना का अपना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*220. श्री आनन्दी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत सोनामनी गुदाम धाना एवं बददाहा धाना को अपना भवन नहीं है, आरक्षी कर्मियों को "लॉ एण्ड ऑर्डर मॉटेन" करने में भारी कठिनाई होती है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि सोनामनी गुदाम धाना नेपाल राष्ट्र सीमा से सटे स्थापित है तथा बददाहा धाना भी नेपाल राष्ट्र के नजदीक है, परन्तु गस्ती करने तथा आपराधिक कार्यकलाप को नियंत्रण करने के लिए उक्त धानों के पास अपनी मोटरगाड़ी भी नहीं है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों धानों का भवन निर्माण कराने के साथ मोटरगाड़ी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास खोलना

*221. श्री राजेश्वर राज--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल मुख्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं रहने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन की स्वीकृति

*222. श्री अमरनाथ गामी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री दरवारी लाल केवट, पिता-स्व० किशुन लाल केवट, कालीस्थान (शिवाजी नगर) पो० एवं जिला-दरभंगा, श्री उपेन्द्र महासेठ, पिता-जनक महासेठ, मु०-वसतगंज, पो०-लाल बाग, जिला-दरभंगा एवं श्री जगदीश सहनी, पिता-स्व० हजारी सहनी, मु०-पक्की हवेली (शिवाजी नगर) पो०-लालबाग, जिला-दरभंगा जे०पी० आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण जेल गये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि समय पर आवेदन देने के बावजूद भी अभीतक इन लोगों को पेंशन नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन तीनों व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*223. श्री अमरनाथ गामी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बेला औद्योगिक प्रांगण में गेट एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण बाहरी लोगों का कब्जा है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त औद्योगिक प्रांगण में चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार की स्थापना

*224. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास अनुमंडल का सृजन मई, 1992 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमंडल में आजतक उप-कोषागार की स्थापना नहीं है, जिसके कारण आम जनता को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अनुमंडल में उप-कोषागार की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*225. श्री भूपेन्द्र नारायण सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में निर्णय लिया गया है कि सड़क में अतिक्रमण कर दुकान लगाने पर उस क्षेत्र के थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जायेगी;
- (2) क्या यह बात सही है कि पटना स्थित शास्त्रीनगर थाना एवं दानापुर थाना अन्तर्गत बेली रोड में शेखपुरा मोड़ से रूकुनपुरा नहर तक फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा दुकान लगाने, आरा मशीन द्वारा लकड़ी रोड पर रखने, गिट्टी बालू रोड पर गिरा कर बेचने एवं बकरी मार्केट द्वारा जाम लगाने से 10 वर्षों में सैकड़ों व्यक्तियों का दुर्घटना होने से जाने गयी है तथा प्रति रोज जाम लगा रहता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना प्रभारियों पर कार्रवाई करते हुए बेली रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराकर जाम से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*226. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के ग्राम खजुरिया में कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु वर्ष 2010-11 में 4,30,400 रु० की राशि स्वीकृति की गई, जिसका योजना संख्या 34/2010-11 है, जबकि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य अधूरा है;
- (2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण कराने का विचार कबतक रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परिहार कमिटी की बैठक

*227. श्री अवनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के आजीवन कारावास की सजा पाये बंदियों को उनके अच्छे आचरण तथा सजा को अवधि पूरी होने के बाद परिहार देने का प्रावधान है;
- (2) क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षों से राज्य परिहार कमिटी की बैठक नहीं होने के कारण राज्य की काराओं में 1000 से अधिक बंदी हैं, जिससे राज्यकोष पर भार पड़ रहा है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य परिहार कमिटी की बैठक करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी पदों पर समायोजन

*228. श्री राम सुरत राय—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1990 में वर्ष 1990 से पूर्व विभाग में दैनिक पारिश्रमिक के रूप में कार्यरत कर्मियों को निगम/बोर्डों में स्थायी पदों पर समायोजन करने का निर्णय लिया है;
- (2) क्या यह बात सही है कि कार्यरत कर्मियों को विभागों द्वारा उक्त निर्णय को कार्यान्वित नहीं करने से 25-30 वर्षों से कार्यरत कर्मियों का भविष्य अधकारमय हो गया है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में खंड (1) में वर्णित निगम/बोर्डों में कार्यरत दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों को स्थायी पदों पर समायोजन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*229. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह—हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 नवम्बर, 2011 को प्रकाशित शीर्षक “नहीं हुआ 800 करोड़ का फसल बीमा” को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में बैंकों की लापरवाही की वजह से किसानों के ऋण का बीमा आज तक नहीं हो पाया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 2011 में खरीफ फसल में सिर्फ 1458 करोड़ का ही बीमा हुआ जबकि 2000 करोड़ की राशि ऋण के रूप में वितरित की गयी यानी 800 करोड़ का फसल बीमा नहीं किया जा सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 800 करोड़ का फसल बीमा नहीं किये जाने का क्या औचित्य है तथा इस संबंध में सरकार कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

भुगतान करना

*230. डॉ० इजहार अहमद—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एम०एस०डी० प्लान के तहत इन्दिरा आवास बनाने के लिए दिसम्बर 11 में लाभुकों को मात्र 35000 रु० दिया गया जबकि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लाभुकों को इन्दिरा आवास के लिए सितम्बर माह 2011 में 45000 रुपये दिया जा रहा है, यदि हां, तो सरकार सरकारी नियमानुसार इंदिरा आवास वाले लाभुकों को 45000 रुपये प्रति आवास भुगतान करने का विचार कबतक रखती है और नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*231. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय नगर परिषद् अन्तर्गत वार्ड सं० 3 इंग्लिश में वर्ष 2010-11 में कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए 9,98,000 राशि स्वीकृत की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि 4,99,000 राशि कब्रिस्तान की घेराबंदी के नाम पर निकाल ली गयी है और आजतक घेराबंदी का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2011-12 में कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के साथ दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० स्थापित करना

*232. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड स्थित वाघीवरडीहा मोड़ हिसुआ-जमुई राजमार्ग एवं नवादा-वारिसलीगंज पथ मुख्य मोड़ है;

(2) क्या यह बात सही है कि वाघीवरडीहा मोड़ के 12 कि०मी० की परिधि में पुलिस धाना नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वाघीवरडीहा मोड़ पर पुलिस ओ०पी० स्थापित करवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:

दिनांक 27 फरवरी, 2012 (ई०।)

लक्ष्मीकान्त झा,
प्रभारी सचिव,